**To provide Ownership Right**

**\*10 Sh. SURENDER PANWAR, M.L.A**:

Will the Deputy Chief Minster be pleased to state:-

1. Whether any alternate way has been made by the Government to register the mutation of the registries of 25 years old houses in Sonepat Assembly Constituency in which Killa number and Khasra number have not been mentioned in their registries;
2. if so, the time by which the mutation is likely to be registered in revenue record: and
3. whether the sale and purchase of the houses or plots could be made without mutation in said situation togetherwith the details thereof?

**SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER**

1. No, Sir
2. Question does not arise in view of reply at (a) above.
3. Yes Sir, Registration of sale and purchase of home, plots and other non-agricultural properties located within the limits of any Municipality including Municipal Corporation Sonepat can be done on the basis of Property ID subject to completion of other requirement as per laws.

**स्वामित्व अधिकार प्रदान करना**

**\*10 श्री सुरेन्द्र पंवार (सोनीपत)**

 क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) क्या सोनीपन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 वर्ष पुराने मकानों की रजिस्ट्रियां, जिनकी रजिस्ट्रियों में किला नम्बर तथा खसरा नम्बर वर्णित नहीं है, का इंतकाल पंजीकृत करने के लिए सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है;

ख) यदि हां, तो राजस्व रिकार्ड में इंतकाल (मयूटेशन) कब तक दर्ज किए जाने की संभावना है; तथा

ग) क्या उक्त स्थिति में इंतकाल के बिना मकानों या प्लाटों की बिक्री तथा खरीद की जा सकती है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

**श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री**

क) नहीं, श्रीमान जी।

ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग) हां श्रीमान जी, नगर निगम सोनीपत सहित किसी भी नगर पालिका की सीमा के भीतर स्थित घर, भूखंडों और अन्य गैर कृषि-संपत्तियों की बिक्री और खरीद का पंजीकरण संपत्ति आईडी के आधार पर किया जा सकता है, बशर्ते कि कानून के अनुसार अन्य आवश्यकताएं पूरी हों।